राजस्थान सरकार

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 84 /सवाई माधोपुर/2010-11

यह प्रमाणित किया जाता है कि ......मन्थन संस्थान, सवाईमाधोपुर......
....जिला, सवाई माधोपुर का
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अर्न्तगत
[रजि]स्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक......इक्कीस......
माह......सितम्बर......सन्...दो...हजार...दस.....को जारी किया गया।

रजिस्ट्रार संस्थाएँ
सवाई माधोपुर

नाम संस्था– मन्थन संस्थान,सवाईमाधोपुर

संशोधित संघ विधान पत्र

1– समिति का नाम : इस समिति का नाम मन्थन संस्थान, सवाईमाधोपुर है व रहेगा।

2– पंजीकृत कार्यालय तथा : इस समिति का पंजीकृत कार्यालय– 166, राजविहार कालोनी, दशहरा मैदान,सवाईमाधोपुर है तथा इसका कार्यक्षैत्र राजस्थान राज्य क्षैत्र तक सीमित होगा।

3– संस्था के उद्देश्य : इस समिति के निम्नलिखित उद्देश्य है :–

1. शिल्पकारो के उत्थान हेतु सहयोग प्रदान करना।
2. स्वास्थय सुधार हेतु गतिविधियो का आयोजन करना।
3. वन सरंक्षण एंव वन्य जीवो को बचाने हेतु कार्य करना।
4. ग्रामीण एंव शहरी क्षैत्र में पर्यावरण सरंक्षण हेतु कार्य करना।
5. काप्ट के क्षैत्र में शिल्पकारो को तकनिकी सहायता प्रदान करना।
6. काप्ट के क्षैत्र में अनुसंधान एंव सर्वे से सबंधित गतिविधियो को सम्पादित करना।
7. काप्ट मेंलो का आयोजन करना तथा प्रर्दशनियो का आयोजन करना।
8. काप्ट के विकास हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना।

अध्यक्ष 9461362115

मंत्री 9928876072

रितुराज सोलंकी
कोषाध्यक्ष 9530256006

131

9 महिलाओ के लिये लधु उधोग स्थापित करवाने में मदद करना।

10 शिक्षा सुधार हेतु कार्य करना।

11 बालिका भ्रूण हत्या रोकने तथा बालिका विकास हेतु कार्य करना।

12 जन सरंक्षण हेतु कार्य करना।

13 विकलांगो के उत्थान हेतु सहयोग प्रदान करना।

14 शिल्पकारो को राज्य एंव केन्द्र सरकार की परियोजनाओ से लाभान्वित करवाना।

15 जनसंख्या रोकथाम हेतु प्रयास करना एंव समाज में इस हेतु जागरूकता लाना।

उपरोक्त उद्वेश्यो की पूर्ति में कोई लाभ निहित नही है।

रजिस्ट्रार संस्थाएं सवाई माधोपुर

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

4— इस समिति का कार्यभार समिति के नियमानुसार एक कार्य समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित है :—

क्र.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्णपता	पद
1	श्री रामसिंह पुत्र श्री रामजीलाल	निजी कार्य	ग्राम – दातासूती तह0 वामनवास जिला सवाईमाधोपुर	अध्यक्ष
2	श्री धर्मेन्द सिंह पुत्र श्री नरपतसिंह	समाजसेवा	1/513 हाउसिंग बोर्ड सवाईमाधोपुर	मंन्त्री
3	श्रीमति रितुराज पत्नि श्री सुरेन्द्र सिंह	अध्यापन	कोठार मोहल्ला , शाहपुरा जिला भीलवाडा	कोषाध्यक्ष
4	श्री रधुनन्दन पाल पुत्र श्री लखेन्द्र पाल	निजी कार्य	ग्राम –श्रीपुरा पोस्ट–हाडोती तह0 सपोटरा जिला करोली	सदस्य
5	श्रीमति राधाकवंर पत्नि श्री विशम्भर दयाल	निजी कार्य	2/350, हाउसिंग बोड सवाईमाधोपुर	सदस्य
6	श्री विजयपाल पुत्र श्री महेश पाल	निजी कार्य	10, हनुमान नगर सवाईमाधोपुर	सदस्य
7	श्रीमति भवंर बाई पत्नि श्री रधनन्दन पाल	निजी कार्य	2/350, हाउसिंग बोर्ड सवाईमाधोपुर	सदस्य
8	श्री विक्रम पुत्र श्री समर	व्यापार	415, खीची निवास अजमेर	सदस्य
9	श्रीमति बालकंवर पत्नि श्री नरपतसिंह	निजी कार्य	247, बाहाण बस्ती, हिन्दुपुरा त्ह0बोली जिला सवाईमाधोपुर	सदस्य
10	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री रघुनाथसिंह	निजी कार्य	247, बाहाण बस्ती, हिन्दुपुरा त्ह0बोली जिला सवाईमाधोपुर	सदस्य
11	श्री जसबिन्दर सिह पुत्र श्री पुरूषोत्तम सिंह	निजी कार्य	1/515, हाउसिंग बोर्ड सवाईमाधोपुर	सदस्य
12	श्री असलम खान पुत्र सलामुददीन	व्यापार	पुरानी बस्ती, करमोदा सवाईमाधोपुर	सदस्य
13	श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्यामसुन्दर	व्यापार	1/119, हाउसिंग बोर्ड सवाईमाधोपुर	सदस्य
14	श्री पुनीत पुत्र श्री सुन्दरलाल	फोटोग्राफर	हम्माल मोहल्ला सवाईमाधोपुर	सदस्य
15	श्री विनोद पाल पुत्र श्री महेश पाल	अध्यापन	1/246, हाउसिंग बोर्ड सवाईमाधोपुर	सदस्य
16	श्री प्रियांक पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता	निजी कार्य	खाई रोड, नयापुरा 1 बी 9 एसएफएस कालोनी, कोटा	साधारण
17	श्री मोहन पुत्र श्री समर सिंह	व्यापार	133, वेष्णव विहार, नागल जैसा बोहरा,झोटवाडा,जयपुर	साधारण

अध्यक्ष मंत्री रितुराज सोलंकी कोषाध्यक्ष

133

5— हम निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार है। इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक है :–

क्र.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पर्णपता	वर्गीकरण	हस्ताक्षर
1	श्री रामसिंह पुत्र श्री रामजीलाल	निजी कार्य	ग्राम – दातासूती तह0 वामनवास जिला सवाईमाधोपुर	साधारण	[signature]
2	श्री धर्मेन्द सिंह पुत्र श्री नरपतसिंह	समाजसेवा	1/513 हाउसिंग बोर्ड सवाईमाधोपुर	साधारण	Dharmendra Singh
3	श्रीमति रितुराज पत्नि श्री सुरेन्द सिंह	अध्यापन	कोठार मोहल्ला , शाहपुरा जिला भीलवाडा	साधारण	रितुराज सोलंकी
4	श्री रघुनन्दन पाल पुत्र श्री लखेन्द्र पाल	निजी कार्य	ग्राम –श्रीपुरा पोस्ट–हाडोती तह0 सपोटरा जिला करोली	साधारण	[signature]
5	श्रीमति राधाकवर पत्नि श्री विशम्भर दयाल	निजी कार्य	2/350, हाउसिंग बोड सवाईमाधोपुर	साधारण	राधा
6	श्री विजयपाल पुत्र श्री महेश पाल	निजी कार्य	10, हनुमान नगर सवाईमाधोपुर	साधारण	[signature]
7	श्रीमति भवंर बाई पत्नि श्री रघनन्दन पाल	निजी कार्य	2/350, हाउसिंग बोर्ड सवाईमाधोपुर	साधारण	भवंर बाई
8	श्री विकम पुत्र श्री समर	व्यापार	415, खीची निवास अजमेर	साधारण	विक्रम
9	श्रीमति बालकंवर पत्नि श्री नरपतसिंह	निजी कार्य	247, बाहाण बस्ती, हिन्दुपुरा त्ह0बोली जिला सवाईमाधोपुर	साधारण	बालकंवर
10	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री रघुनाथसिंह	निजी कार्य	247, बाहाण बस्ती, हिन्दुपुरा त्ह0बोली जिला सवाईमाधोपुर	साधारण	महेन्द्र
11	श्री जसबिन्दर सिह पुत्र श्री पुरूषोत्तम सिंह	निजी कार्य	1/515, हाउसिंग बोर्ड सवाईमाधोपुर	साधारण	जसबिन्दर सिंह
12	श्री असलम खान पुत्र सलामुददीन	व्यापार	पुरानी बस्ती, करमोदा सवाईमाधोपुर	साधारण	AS Can
13	श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्यामसुन्दर	व्यापार	1/119, हाउसिंग बोर्ड सवाईमाधोपुर	साधारण	राजेन्द्र कुमार
14	श्री पुनीत पुत्र श्री सुन्दरलाल	फोटोग्राफर	हम्माल मोहल्ला सवाईमाधोपुर	साधारण	पुनीत
15	श्री विनोद पाल पुत्र श्री महेश पाल	अध्यापन	1/246, हाउसिंग बोर्ड सवाईमाधोपुर	साधारण	विनोद पाल
16	श्री प्रियांक पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता	निजी कार्य	खाई रोड, नयापुरा 1 बी 9 एसएफएस कालोनी, कोटा	साधारण	प्रियांक
17	श्री मोहन पुत्र श्री समर सिंह	व्यापार	133, वैष्णव विहार, नागल जैसा बोहरा,झोटवाडा,जयपुर	साधारण	मोहन सिंह

[signature] अध्यक्ष   [signature] मंत्री   रितुराज सोलंकी कोषाध्यक्ष

18	श्री अवतार सिह पुत्र श्री सुगन सिंह	व्यापार	2 / 109, आरएच बी कालोनी सवाईमाधोपुर	साधारण	A Singh
19	श्री मनोहर सिंह पुत्र श्री चंदन सिंह	समाजसेवा	40 / 28, प्रतापनगर सांगानेर , जयपुर	साधारण	[signature]
20	श्री लोकेन्द्र पुत्र श्री दिलिप	समाजसेवा	99, मुख्य बाजार, फलोदी सवाईमाधोपुर	साधारण	[signature]
21	श्रीमति जगदीश पत्नि श्री रामसिंह	समाजसेवा	111, दातासूती, जोगी मोहल्ला सवाईमाधोपुर	साधारण	[signature]
22	श्रीमति प्रिर्यंदर्शिनी पत्नि श्री वीरेन्द्र सिंह	समाजसेवा	ग्राम–गैरोली तह0 दूनी जिला टोक	साधारण	[signature]

निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते है कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते है व उन्होनें हमारे समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर किये है हम यह भी घोषित करते है कि हम संस्था के सदस्य नहीं है ।

1– हस्ताक्षर [signature] प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बलरिया (सवाई माधोपुर)
(नाम / व्यवसाय / पूर्णपता)

2–हस्ताक्षर [signature] अति.जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) सवाई माधोपुर
नाम / व्यवसाय / पूर्णपता)

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

नाम संस्था– मन्थन संस्थान,सवाईमाधोपुर

संशोधित संघ विधान नियमावली

1– समिति का नाम : इस समिति का नाम मन्थन संस्थान, सवाईमाधोपुर है व रहेगा।

2– पंजीकृत कार्यालय तथा : इस समिति का पंजीकृत कार्यालय– 166, राजविहार कालोनी, दशहरा मैदान,सवाईमाधोपुर है तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य क्षेत्र तक सीमित होगा।

3– संस्था के उद्देश्य : इस समिति के निम्नलिखित उद्देश्य है :–

1. शिल्पकारो के उत्थान हेतु सहयोग प्रदान करना।
2. स्वास्थय सुधार हेतु गतिविधियो का आयोजन करना।
3. वन सरंक्षण एंव वन्य जीवो को बचाने हेतु कार्य करना।
4. ग्रामीण एंव शहरी क्षैत्र में पर्यावरण सरंक्षण हेतु कार्य करना।
5. काप्ट के क्षैत्र में शिल्पकारो को तकनिकी सहायता प्रदान करना।

6 काप्ट के क्षैत्र में अनुसंधान एंव सर्वे से सबंधित गतिविधियो को सम्पादित करना।

7 काप्ट मेंलो का आयोजन करना तथा प्रर्दशनियो का आयोजन करना।

8 काप्ट के विकास हेतु सांस्कृतिक कार्यकम आयोजित करना।

अध्यक्ष मंत्री शिवराज सोलंकी कोषाध्यक्ष

9 महिलाओ के लिये लधु उधोग स्थापित करवाने में मदद करना।

10 शिक्षा सुधार हेतु कार्य करना।

11 बालिका भ्रूण हत्या रोकने तथा बालिका विकास हेतु कार्य करना।

12 जन सरंक्षण हेतु कार्य करना।

13 विकलांगो के उत्थान हेतु सहयोग प्रदान करना।

14 शिल्पकारो को राज्य एंवं केन्द्र सरकार की परियोजनाओ से लाभान्वित करवाना।

15 जनसंख्या रोकथाम हेतु प्रयास करना एंव समाज में इस हेतु जागरूकता लाना।

उपरोक्त उद्वेश्यो की पूर्ति में कोई लाभ निहित नही है।

अध्यक्ष मंत्री रितुराज सोलंकी कोषाध्यक्ष

4— सदस्यता : निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेगे।

1— संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हो।

2— बालिग न हो

3— पागल व दिवालिया न हो ।

4— संस्था के उद्देश्यों में रूचि व आस्था रखते हो।

5— संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हो।

5— सदस्यो का वर्गीकरण : संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत भी किया जा सकेगे ।

1— संरक्षक

2— सम्मानीय

3— विशिष्ठ

4— साधारण

रजिस्ट्रार संस्थाएँ * सवाई माधोपुर

6— सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क उपनियम संख्या 4में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा ।

1— सरंक्षक राशि 2000/— रूपये वार्षिक

2— विशिष्ट राशि 1000/— रूपये वार्षिक

3— सम्माननीय राशि 500/— रूपये वार्षिक

4— साधारण राशि 51/— रूपये वार्षिक

(उक्त राशि एक मुश्त रू0 उक्तानुसार की मासिक दर से जमा कराई जा सकेगी)

7— सदस्यता से निष्कासन : संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा ।

1— मृत्यु होने पर ।

2— त्याग पत्र देने पर ।

अध्यक्ष मंत्री ऋतुराज सोलंकी कोषाध्यक्ष

3– संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर

4– प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वेद्य समझे जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8– साधारण सभा : संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेगे।

9– साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य : साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होगे ।

1– प्रबन्ध कार्यकारिणी का चुनाव करना

2– वार्षिक बजट पारित करना ।

3– प्रबन्धकार्यकारिणी द्वारा किये गये कार्यो की समीक्षा करना व पुष्टि करना ।

4– संस्था के कुल सदस्य 2/3के विधान में संशोधन परिवर्तन करना । रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लागू होगा ।

रजिस्ट्रार संस्थाएं सवाई माधोपुर

10– साधारण सभा की बैठके

1– साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा तभी विशेष सभा भी बुलायी जा सकेगी ।

2– साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा ।

3– बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी ।

4– कोरम के अभाव में बैठक स्थिगित की जा सकेगी जो पुनः 3 दिन पश्चात निर्धारत

अध्यक्ष | मंत्री | रितुराज सोलंकी कोषाध्यक्ष

स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थिति में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होगे जो पूर्व ऐजेण्डा में थे।

5— संस्था के 1/3 अथवा 07 सदस्य इनमें से जो भी कम हो लिखित आवेदन करने पर मन्त्री/अध्यक्ष द्वारा एक माह के अन्दर अन्दर बैठक न बुलाई जाने पर उक्त 3 सदस्यों में से कोई भी एक सदस्य नोटिस जारी कर सकेगे। तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैद्यानिक व सर्वमान्य होगे।

11— कार्यकारिणी का गठन : संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्ध कार्यकारिणी का गठन किया जावेगा जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होगे.

1—	अध्यक्ष	—	1
2—	मन्त्री	—	1
3—	कोषाध्यक्ष	—	1
4—	सदस्य	—	14

(उक्त पदो के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावे तो यहॉ अंकित करे, कम करना चाहे तो कम रख लें) इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 3 पदाधिकारी व 14 सदस्य कुल 17 सदस्य होगे ।

12— कार्यकारिणी का निर्वाचन

1— संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा

2— चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

3— चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी

अध्यक्ष　　　　मंत्री　　　　रितुराज सोलंकी
कोषाध्यक्ष

13— कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य : संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार और कर्तव्य होगे

1— सदस्य बनाना / निष्कासित करना ।

2— आर्थिक बजट तैयार करना ।

3— संस्था की सम्पति की सुरक्षा करना ।

4— वेतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना

5— साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना ।

6— कार्य व्यवस्था हेतु उपसमितियॉ बनाना

7— अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना।

14— कार्यकारणी की बैठके

1— कार्यकारणी की वर्ष में कम से कम पॉच बैठके अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष / मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी

2— बैठक का कोरम प्रबन्धक कारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगी ।

3— बैठक की सूचना प्राय सात दिन पूर्व दी जावेगी तथा आत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

4— कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दुसरे दिन निर्धारित दिन व समय पर होगी । ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नही होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होगे जो पूर्व एजेण्डा में थे ऐसी स्थिगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा ।

रजिस्ट्रार संस्थाएं सवाई माधोपुर

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

(141)

15— प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य : संस्था की प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे ।

1— **अध्यक्ष**

1— बैठको की अध्यक्षता करना ।

2— मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना

3— बैठके आहूत करना ।

4— संस्था का प्रतिनिधित्व करना ।

5— संविदा तथा अन्य दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करना ।

6— अन्य

2— **मन्त्री —**

1— बैठक आहूत करना ।

2— कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना ।

3— आय —व्यय पर नियन्त्रण करना ।

4— वेतनिक कर्मचारियां पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना ।

5— संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजो पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना ।

6— पत्र व्यवहार करना ।

7— सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु अन्य कार्य जो आवश्यक हो।

3— **कोषाध्यक्ष**

1— वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना ।

2— दैनिक लेखो पर नियन्त्रण रखना ।

3— चन्दा / शुल्क / अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना

4— अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना ।

रजिस्ट्रार संस्थाएं सवाई माधोपुर

अध्यक्ष | मंत्री | रिद्धुराज सोलंकी कोषाध्यक्ष

142

4– **उपाध्यक्ष**

!– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करना।

5– मंहामंत्री

1– मत्री की अनुपस्थिति में कार्य करना।

16– संस्था का कोष : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा

1– चन्दा
2– शुल्क
3– अनुदान
4– सहायता
5– राजकीय अनुदान

1– उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जावेगी

रजिस्ट्रार संस्थाएं सवाई माधोपुर

2– अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के सयुंक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन देन सम्भव होगा।

17– कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार : संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेगे

1– अध्यक्ष 1101/– रूपये

2– मन्त्री 701/– रूपये

3– कोषाध्यक्ष 501/– रूपये

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा।

अध्यक्ष | मंत्री | रितुराज सोलंकी कोषाध्यक्ष

(143)

18– संस्था का अंकेक्षण : संस्था के समस्त लेखे–जोखो का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा।

19– संस्था के विधान में परिवर्तन : संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा। जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20– संस्था का विघटन : यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल अचल सम्पति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी। लेकिन उक्त कार्यवाही राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के तहत अनुरूप होगी।

21– संस्था के लेखे–जोखे का निरीक्षण : रजिस्ट्रार संस्थाये सवाईमाधोपुर को सस्था का निरीक्षण का पूर्ण अधिकार होगा। व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

22– धारा 4 क का प्रावधान : संस्था प्रति वर्ष धारा 4 क की सूचना रजिस्ट्रार सवाईमाधोपुर को प्रेषित करती रहेगी

प्रमाणित किया जाता है उक्त विधान (नियमावली) मन्थन संस्थान, सवाईमाधोपुर की सही व सच्ची प्रतिलिपि है ।

राजस्थान सोसायटी अधिनियम 1958 की धारा 19 के अर्न्तगत यह प्रमाणित किया जाता है कि यह पत्रादि संस्था के संबध में प्रस्तुत किये गये पत्र, जो कार्यालय की पत्रावली में पृष्ठ सं. 130 से 143 तक उपलब्ध है, की प्रमाणित प्रति है।
प्रमाणित प्रति देने की दिनांक

नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर 17-5-2016

रजिस्ट्रार संस्थाऐं
सवाई माधोपुर

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष